

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 128/19

तारीख दायर 29-5-19

1.

.....प्रार्थी

बनाम्

चुना भहीर बनाम् ① मोहन ② बंशी ③ नंदकिशोर
 ③ जंजू ④ राधा ⑤ गोपी
 ⑤ कानी ⑥ गोपी
 ⑥ द्वाक ⑦ रत्नमल
 ⑦ अचनबाई ⑧ शिवलाल
 ⑧ चादीबाई ⑨ शिवलाल
 ⑨ भोजा ⑩ गोपी
 ⑩ पुनज ⑪ रत्नमल भहीर
 ⑪ नौलाविपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 11-6-19

प्रार्थना पत्र चुना भहीर ने जरिये अभिभाषक श्री B.P. तिवारी एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम तिलवा पटवार हल्का तिलवा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 125 पर अंकित आराजी संख्या 507 पर 1 बीघा 11 बिस्वा 512 पर रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा

स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 -207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक काका को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम तिलवा पटवार हल्का तिलवा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 125 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 507 पर 1 बीघा 11 बिस्वा 512 पर रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा

बीघा की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ